र्थना पत्रं संख्या : 24 / 22

:– श्रीमति धापुकवंर पत्नि गणपत सिंह जाति राजपुत निवासी मोतीपुरा तह0 बेगू ....प्रार्थी

– बनाम –

1:– प्रकाश पिता काना गुर्जर निवासी बड़ाखेडा तह0 बेंगूँ
2:– श्रीमान भूमिधारी तहसिलदार सा. बेगूँ
3:– श्रीमान शाखा प्रबंन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा पारसोली तह0 बेगूँ

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

प्रार्थना पत्र आ. धारा 136 एल.आर.एक्ट. प्रस्तुत कर प्रार्थीया की ओर से वकील श्री लालुराम कुमावत ने निवेदन इस प्रकार किया है कि मोजा बड़ाखेडा पाटवार हल्का मोतीपुरा के खाता सं. 185 आराजी सं. 296 / 52 रकबा 0.5048 है0 एवं खाता सं. 113 में आराजी सं. 312 / 52 रकबा 0.8090 है0 भूमि प्रार्थिया ने दिनांक 13–08–20 एवं 15–06–20 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरिद कि गई है प्रार्थीया कि क्रयशुदा खातेदारी की कृषि आराजीयात है लेकिन सहवन से खाते सं. 296 / 52 रकबा 0.4850 है0 भूमि में गैर खातेदार दर्ज हो गया है व प्रार्थीया का नाम धापुबाई अंकित हो गया है जिसे खातेदार दर्ज कर धापुकवंर नाम दर्ज किया जाये एवं खाता सं. 113 आराजी सं. 313 / 52 रकबा 0.8090 है0 भूमि में प्रार्थीया की जाती गुर्जर अंकित है जिसको राजपुत दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को दर्ज किया जा कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया विपक्षी संख्या 1 व 3 सूचना के बावजुद उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 2 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में जवाब के पक्षचात वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई पत्रावली में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अनुसार बहस में निवेदन किया है कि मौजा बडा खेडा प0ह0 मोतीपुरा के खाता संख्या 113 की आ0स0 312 / 52 रकबा 0.8090 है0 भूमि में प्रार्थीया की जाति गुर्जर के बजाय राजपूत अंकित किया जावे। एवं खाता संख्या 185 की आ0स0 296 / 52 रकबा 0.4850 है0 भूमि में गैर खातेदार के बजाय खातेदार एवं प्रार्थी का नाम घापू बाई के बजाय घापू कंवर अंकित किया जावे।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलाकन किया गया प्रस्तुत दस्तावेज पंजिकृत दिनांक 13.08.2020 में ग्राम बडा खेडा प0ह0 मोतीपुरा खाता संख्या 175 में अंकित आ0स0 296 / 52 रकबा 0.8090 है0 में से रकबा 0.4850 है0 आराजी का दक्षिणी भाग भूमि को केता नारायण पिता बख्तावर ने श्री मति घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत नि0 मोतीपुरा विक्रय कि गई है। एवं खाता संख्या 109 में अंकित आराजी संख्या 312 / 52 रकबा 0.8090 है0 भूमि भंवर लाल, शम्भूलाल, मदनलाल पिता बालू जी गुर्जर नि0 बडा खेडा के ऐजन बाई पत्नि स्वं बालू जी गुर्जर नि0 बडा खेडा ने निहित सम्पूर्ण हक हिस्सा 1 / 2 भूमि को श्री मति घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह राजपूत नि0 मोतीपुरा को विक्रय कर दि गई है।

जबकि वर्तमान जमाबन्द सम्वत्–2078–2078 के खाता संख्या 185 की आ0स0 296 / 52 कुल रकबा 0.4850 है0 भूमि घापु बाई पति गणपत निवासी मोतीपुरा गैर खातेदार दर्ज है। जो कि प्रार्थी ने पंजिकृत विक्रय पत्र से दिनांक 13.08.2020 को क्रय की गई है। जो राजस्व कर्मचारियो से सहवन से जमाबन्दी मे गैर खातेदार दर्ज अंकित हो गया है। जिसे सही किया जाना न्याय संगत है। एवं वर्तमान जमाबन्दी 2075–2078 के खाता संख्या 113 की आराजी संख्या 312 / 52 रकबा 0.8090 है0 भूमि भी प्रार्थिया ने जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 15.06.2020 को विक्रय कि गई थी जिसमें प्रार्थीया नाम घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह हिस्सा 1 / 2 जाति गुर्जर अंकित है । जबकि विक्रय पत्र में प्रार्थीया का नाम घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह जाति राजपूत है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति गुर्जर सहवन से कर दी गई है। जिसे सही किया जाना न्यायसंगत है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ0घा0 136 LRA कर स्वीकार किया जाता है। मौजा बडा ा प0 ह0 मोतीपुरा वर्तमान खता संख्या 185 में आराजी संख्या 296/52 कुल रकबा 0.4850 है0 ूमि में घापू बाई पत्नि गणपत सिंह जाति राजपूत गैर खातेदार के स्थान पर घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह जाति राजपूत खातेदार एवं मौजा बडा खेडा के खाता संख्या 113 आ0 स0 312/52 रकबा भूमि में घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर के बजाय घापू कंवर पत्नि गणपत सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत किये जाने के आदेश तहसीलदार बेगूं को दिये जाते है आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 22.08.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि :—

तहसीलदार बेगूं को आदेश की प्रति पालनार्थ।

सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested